बिजनेसमैन और घरेलू उपभोक्ता बिजली चोरी में दोषी करार

कंप्यूटर सेंटर के मालिक को बिजली चोरी में 1 साल की जेल, 4 लाख जुर्माना

नई दिल्लीः 29 मई, 2017। बिजली चोरी के दो अलग मामलों में कड़कड़डूमा और द्वारका स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट्स ने दो लोगों को दोषी करार दिया है। बिजली चोरी के दोषियों में से एक उत्तम नगर स्थित कंप्यूटर सेंटर का मालिक है जबकि दूसरा, दिलशाद गार्डन निवासी घरेलू उपभोक्ता है। दिलशाद गार्डन निवासी श्री विजय बाली को 19 किलोवॉट बिजली की चोरी के जुर्म में दोषी करार दिया गया है, जबकि उत्तम नगर स्थित कंप्यूटर सेंटर के मालिक श्री सत नारायण को 5.7 किलोवॉट बिजली की चोरी के जुर्म में सजा सुनाई गई है।

खास बात यह है कि दिलशाद गार्डन निवासी उपभोक्ता श्री विजय बाली इस मामले में, बीएसईएस द्वारा किए गए जुर्माने के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को ही आरोपी के खिलाफ मामले की सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया।

कंप्यूटर सेंटर मालिक को 1 साल की जेल, 4 लाख जुर्माना

बिजली चोरी के आरोपी कंप्यूटर सेंटर मालिक को बिजली की स्पेशल कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है और साथ ही उस पर 4 लाख रूपये का जुर्माना भी किया है। इस जुर्माने में फाइन और सिविल लायबिलिटी, दोनों शामिल हैं।

उत्तम नगर क्षेत्र में एक कंप्यूटर सेंटर चलाने वाले श्री सत नारायण को बिजली चोरी के जुर्म में सजा सुनाते हुए द्वारका स्थित स्पेशल कोर्ट के अडिशनल सेसन जज श्री नवीन अरोड़ा के आदेश में कहा गया–– महज इनकार करने के अलावा, आरोपी और कुछ ऐसा सबूत पेश नहीं कर सका, जिससे पता चले कि वहां बिजली की चोरी नहीं की जा रही थी।

आदेश के मुताबिक–– आरोपी, जो कि रजिस्टर्ड उपभोक्ता भी है, के खिलाफ बिजली की चोरी के मामले को शिकायतकर्ता ने साबित किया है। आरोपी की ओर से ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया, जो यह साबित करता हो कि उसने वह जगह किसी और को किराए पर दे रखी थी। या कि, वह इस बात से बेखबर था कि उसका किराएदार बिजली की चोरी कर रहा था।

जजे ने आदेश में कहा ––सभी तथ्यों और परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शिकायतकर्ता ने सीधे प्रमाणों के आधार पर आरोपी के खिलाफ बिजली की सीधी चोरी के मामले को सफलता पूर्वक साबित कर दिया है, जिसका खंडन आरोपी द्वारा नहीं किया गया है। मैं इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 2003 की धारा 135 के तहत, आरोपी को इस जुर्म के लिए दोषी करार देता हूं। ... मामले की परिस्थितियों को देखते हुए मेरा मानना है कि यह एक आर्थिक अपराध है, जहां दोषियों के आचार–व्यवहार से समाज पीड़ित है और बिजली के शुल्कों का भुगतान करने वाले ईमानदार लोगों को कष्ट हो रहा है। ऐसे दोषी लोग दूसरों की कीमत पर लाभ पा रहे हैं। इस तरह, दोषी को 1 साल की कैद से न्याय का तकाजा पूरा होगा।

दरअसल, बीएसईएस की एक टीम विश्वास पार्क उत्तम नगर में स्थित एक कंप्यूटर सेंटर पर बिजली संबंधी जांच के लिए गई थी। टीम ने पाया कि वहां स्थित एक नॉन डोमेस्टिक मीटर को बायपास करके 5.7 किलोवॉट बिजली की सीधी चोरी की जा रही थी।

दिलशाद गार्डन निवासी उपभोक्ता दोषी करार

दिलशाद गार्डन निवासी घरेलू उपभोक्ता श्री विजय बाली को कड़कड़डूमा स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने 19 किलोवॉट बिजली की चोरी के जुर्म में दोषी करार दिया है। वह घरेलू उपयोग के लिए बिजली की चोरी कर रहे थे।

दरअसल, जब बीएसईएस की टीम वहां बिजली संबंधी चेकिंग के लिए गई, तो वहां घरेलू उद्देश्यों के लिए 19 किलोवॉट बिजली की चोरी हो रही थी। नियमों के हिसाब से बीएसईएस ने उपभोक्ता को बिजली चोरी के मामले में 1.86 लाख रूपये का जुर्माना किया, लेकिन उन्होंने तय समय के भीतर जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं किया। उसके बाद, इस मामले में स्पेशल कोर्ट में एक आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया।

खास बात यह है कि दिलशाद गार्डन निवासी उपभोक्ता श्री विजय बाली इस मामले में, बीएसईएस द्वारा किए गए जुर्माने के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को ही आरोपी के खिलाफ मामले की सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया।

तमाम साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर गौर करने के बाद, स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 2003 की धारा 125 के तहत दोषी करार दिया।

प्रमुख बिजली वितरण कंवनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।